भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3807

24.03.2025 को उत्तर के लिए

वाणिज्यिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वन भूमि का उपयोग

3807. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में वाणिज्यिक और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई वन भूमि की सीमा के संबंध में राज्यवार विशेषकर तमिलनाडु में जिलावार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि तेजी से हो रहे वनों की कटाई से उक्त राज्य में जलवायु परिवर्तन का खतरा, जल की कमी तथा जैव विविधता की हानि बढ़ी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध वनों की कटाई को रोकने तथा पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत 59882.07 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अवसंरचना परियोजनाओं सहित विभिन्न वनेतर प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अपवर्तित वन भूमि का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने वन भूमि के वनेतर उपयोग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने और इन प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई करने के उद्देश्य से 'परिवेश' नामक एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर प्रत्येक प्रस्ताव का विवरण सार्वजनिक डोमेन https://parivesh.nic.in पर उपलब्ध है।

विभिन्न विकास परियोजनाओं का पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ता है, हालांकि, प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) और निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का भुगतान सहित पर्याप्त उपशमन उपायों के साथ वन भूमि के अपवर्तन की अनुमति दी जाती है। मामला-दर-मामला आधार पर मृदा और नमी संरक्षण कार्यों, जलग्रहण क्षेत्र योजना और वन्यजीव प्रबंधन योजना आदि के रूप में अतिरिक्त उपशमन उपाय भी निर्धारित किए जाते हैं।

वन एवं वृक्ष संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। वन और वृक्ष संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी कार्यढांचे हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927 और राज्य वन अधिनियम और नियम शामिल हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के तहत किए गए उपबंधों के अनुसार वनों और वृक्षों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करते हैं। इससे संबंधित विवरण संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं।

*****

संलग्नक

'वाणिज्यिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वन भूमि का उपयोग' के संबंध में डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद द्वारा दिनांक 24.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3807 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित संलग्नक

श्रेणी : सभी श्रेणियाँ		**दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2024 की अवधि के दौरान**
क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**अनुमोदित क्षेत्र (हेक्टे. में)**
1	अंडमान एवं निकोबार	102.98
2	आंध्र प्रदेश	614.76
3	अरुणाचल प्रदेश	4071.58
4	असम	541.84
5	बिहार	623.43
6	चंडीगढ़	0.05
7	छत्तीसगढ	3020.68
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	40.53
9	दिल्ली	116.92
10	गोवा	182.80
11	गुजरात	3725.95
12	हरियाणा	925.49
13	हिमाचल प्रदेश	1320.78
14	जम्मू एवं कश्मीर	576.10
15	झारखंड	2985.78
16	कर्नाटक	1148.29
17	केरल	154.15
18	मध्य प्रदेश	14157.02
19	महाराष्ट्र	2416.71
20	मणिपुर	1516.45
21	मेघालय	27.41
22	मिजोरम	414.44
23	ओडिशा	7703.46
24	पंजाब	1267.53
25	राजस्थान	3207.01
26	सिक्किम	212.55
27	**तमिलनाडु**	**87.60**
28	तेलंगाना	631.31
29	त्रिपुरा	538.93
30	उत्तर प्रदेश	5058.25
31	उत्तराखंड	2005.17
32	पश्चिम बंगाल	486.11
सकल योग		**59882.07**

स्रोत : **https://parivesh.nic.in**

*****